

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
 पंक्ति दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा-2025 मा.प. शिविर टापुर

प्रकरण संख्या- 78/2025

दिनांक- 27/6/2025

उपखण्ड

श्री. केदार पुत्र लक्ष्मण  
 कि. रेचोर

वसाम सरकार जयपुर महाराज  
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्राथी के खाता दुकरती प्रार्थना पत्र और उसके एक संकलन दस्तावेज प्रमाणित किया गया है।  
 प्रार्थी रेचोर का अ. नि. सारसोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के तहत प्रार्थी रेचोर की जमाबन्दी का जमाबन्दी के खाता संख्या 120, 121 का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जायें हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहने आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)
	<u>बैठं राहिन अशुद्धि</u>	<u>राहिन छि SBI शाखा सारसोप</u>	<u>राहिन छि SBI शाखा सारसोप</u>

उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पत्राना प्रस्तुत करें।
2. प्राथी श्री केदार पुत्र लक्ष्मण कि. रेचोर
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)

